#### प्रशासकीय मान्यता

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, हिंगोली विभाग, हिंगोली या कार्यालयाच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम करण्याबाबत.

#### महाराष्ट्र शासन

विधि व न्याय विभाग,

शासन निर्णय, क्र.सीएचसी-११२४/२५२/(प्र.क्र.४८/२४/का-१७

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.

दिनांक: २४ सप्टेंबर,२०२४

संदर्भ :- १. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.मालमत्ता शाखा/१०१०/२४, दि.२०/०२/२०२४.

२. विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-१६२३/प्र.क्र.१३७/का-१३ दि.३०/०७/२०२४.

#### प्रस्तावना:-

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, हिंगोली विभाग, हिंगोली या कार्यालयासाठी नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाबाबतचा प्रस्ताव धर्मादाय आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी संदर्भ क्र. १ च्या पत्रान्वये सादर केला होता. "विधि व न्याय विभागांतर्गत कार्यालयीन इमारतींचे बांधकाम" या नवीन योजनेस संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, हिंगोली विभाग, हिंगोली या कार्यालयासाठी नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकाम प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

## शासन निर्णय :-

सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, हिंगोली विभाग, हिंगोली या कार्यालयासाठी नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाकरिता रु.१२,३७,७७,०००/-(रुपये बारा कोटी सदतीस लक्ष सत्त्याहत्तर हजार फक्त) इतक्या खर्चास (परिशिष्ट "अ" येथे जोडलेल्या Recapitulation sheet नुसार) खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.

9) बांधकाम सुरु करण्यापूर्वी नमूना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास वास्तू विशारदांकडून मंजूरी घेवूनच बांधकाम सुरु करावे.

- २) परिशिष्ट "अ" येथे जोडलेले अंदाजपत्रक हे नमूना अंदाजपत्रक असल्याने या कामांच्या सिवस्तर अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता देत असताना धर्मादाय सह आयुक्त, नांदेड यांच्या सहमतीने तरतुदी अंतिम कराव्यात.
- त्योजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात.
- 8) सदर कामाची निविदा काढताना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व कामांसाठी एकच निविदा काढण्यात यावी.
- ५) काम सुरु करण्यापूर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था / प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात यावी.
- ६) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय, क्र.इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७७/ तां.क.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
- ७) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय, क्र. बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, दिनांक ७ जुलै, २०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी.
- ८) सदर कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्यकता लागणार नाही, या दृष्टीने विशेष दक्षता घेण्यात यावी.
- ९) अंदाजपत्रकीय कामात बदल होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
- 90) सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंत्यांनी तोंडी दिलेल्या सूचनांच्या आधारावर कामाच्या व्याप्तीत बदल किंवा नवीन कामे समाविष्ट करु नयेत.
- 99) नवीन कामांचा समावेश करावयाचा झाल्यास किंवा व्याप्तीत बदल करावयाचा झाल्यास, याबाबत लेखी आदेश प्राप्त करुन विहित मुदतीत व पध्दतीने सदर कामांना मंजूरी घेण्याची कार्यवाही करावी. अन्यथा संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभागातील तसेच अन्य संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल.
- 3. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च "मागणी क्र.एच-८, ४०५९- सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, ०१-कार्यालयीन इमारती, ०५१-बांधकामे, (२९) विधि व न्याय विभागांतर्गत कार्यालयीन इमारतींचे बांधकाम, (२९) (०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम) (४०५९३२२३) ५३-मोठी बांधकामे, (२९) (०२) आस्थापना खर्च (कार्यक्रम) (४०५९३२३२) ६३-आंतरलेखा हस्तांतरणे, २९(०३) हत्यारे व संयंत्रे खर्च (कार्यक्रम) (४०५९३२४१) ६३-आंतरलेखा हस्तांतरणे" या लेखाशिर्षाखाली मंजूर नियतव्ययातून खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये.
- ४. हे आदेश, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.१०८/२०२४/इमा-२,दि.१२/०३/२०२४ व सार्वजनिक बांधकाम विभाग परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.१०,इमा-२,

दि.२५/०९/२०१९ अन्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,नांदेड यांनी दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेनुसार; तसेच नियोजन विभाग परिपत्रक क्र.ससमा-२०१०/प्र.क्र.४८/(भाग-१)/का-१४६१, दि.११/०६/२०१८ मध्ये नमूद केल्यानुसार विभागास असलेल्या अधिकारात व वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२ दिनांक २०/०९/२०१९ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४(१) अनुसार, प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत.

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या <u>www.maharashtra.gov.in</u> या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०९२४१४४८५०१४१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

# (मनिषा कदम) सहायक सॉलिसिटर नि उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

### प्रति,

- १) धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई,
- २) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-दोन, मुंबई/नागपूर,
- ३) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड,
- ४) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, हिंगोली,
- ५) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, हिंगोली (मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह),
- ६) उप विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, हिंगोली,
- ७) अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, हिंगोली,
- ८) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२,
- ९) वित्त विभाग /व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,
- १०) नियोजन विभाग, १४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२,
- ११) कक्ष अधिकारी, का.१३ व २३,२४,२५ विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,
- १२) निवडनस्ती / संग्रहार्थ, का-१७

|            | परिशिष्ट   | रु"अ"          |              |               |                             |                         |
|------------|--|----------------|--------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|
| Nam        | e of the Department : Law and Judiciary Depar  |                |              |               |                             |                         |
|            |  |                |              |               |                             |                         |
| Nam        | e of Work : Construction of Charity Commission   | ner Office (Jo | oint, Dep    | uty & Assista | nt Charity                  |                         |
|            | Commissioner) at Hingoli Dist - Hingoli  | goli=          |              |               |                             |                         |
| Exec       | uting Agency : Public Works Department   |                |              |               |                             |                         |
| Land       | Availability: Yes  |                |              |               |                             |                         |
|            | itect : Government   |                |              |               |                             |                         |
| Arch       |  | PITULATION     | SHEET        |               |                             |                         |
| Sr.        | Particulars of Scope   |                |              | ate Norms     | Cost Rs.                    |                         |
| No.        |  |                |              | er (Sqmt./    |                             |                         |
|            |  |                |              | LumpSum       | Component                   | Total                   |
| <b>(A)</b> |  |                |              | etc.)         | Wiss                        |                         |
| <b>(A)</b> | ESSENTIAL ITEMS (Components) Building proper (Built Up Area - Sq.m)  |                |              | 1             |                             |                         |
| '          | Ground Floor   | 1332.27        | Sq. M        | 28,000        | 37,303,560                  |                         |
|            | First Floor  |                | Sq. M        | 28,000        | 30,954,280                  |                         |
|            | Total B.U.A. =   | 2437.78        |              | _5,555        | Sub Total (A1)              | 68,257,840              |
| 2          | Electrification  | Internal       | •            | 5% of (A1)    | 3,412,892                   | , ,                     |
|            |  | External       |              | 6% of (A1)    | 4,095,470                   |                         |
|            | Fire Fighting Arrangements etc.  |                |              | @400/Sq.mt    | 975,112                     |                         |
|            | Pump House & Borewell  |                |              | L.S.          | 300,000                     |                         |
|            | AB Room, Area Lighting, pumps, Generator   |                |              | L.S.          | 500,000                     |                         |
|            | Air Conditioning   |                |              | L.S.          | 500,000                     |                         |
|            | Lift   | 1              |              | 2,500,000     | 2,500,000                   | 10.000.171              |
|            |  |                | 50/ / /      | 1 1           | Sub Total (2)               | 12,283,474              |
| 3<br>4     | Water Supply & Sanitary Works Furniture  | 1706 4F        | 5% of (      | T .           | Sub Total (3)               | 3,412,892               |
| 4          | rumiture   | 1706.45        | Sq. M        | 5,000         | Sub Total (4) Sub Total (A) | 8,532,230<br>92,486,436 |
| (B)        | MISCELLANEOUS ITEMS  |                |              |               | Sub Total (A)               | 92,400,430              |
| (5)        | Compound Wall & Gate (Rmt.)  | 200.00         | Rmt          | 8,000         | 1,600,000                   |                         |
|            | Composition of the Composition o |                |              | ,,,,,,        | 1,000,000                   |                         |
|            | Water Main Storage   | 20000.00       | Litres       | 23            | 460,000                     |                         |
|            |  |                |              |               |                             |                         |
|            | Internal road, Land Development, Parking, Land   |                | 4.5% of (A1) |               | 0.074.000                   |                         |
|            | Scaping, Soil Investigation, CC Drains & C/D Works etc.  |                |              |               | 3,071,603                   |                         |
|            | WOIKS etc.   |                |              |               | Sub Total (B)               | 5,131,603               |
|            |  |                |              | Project Co.   | st (P)= (A) + (B)           | 97,618,039              |
| (C)        | PROVISIONS   |                |              |               |                             |                         |
| (-)        | (i) Contingencies 4% on (sub total A1) 2,730,314   |                |              |               |                             |                         |
|            | (ii) GST 18% on (P)  |                |              |               | 17,571,247                  |                         |
|            | (iii) Price Esc  |                | on (P)       |               | 4,880,902                   |                         |
|            | (v) Labour Insurance 1% on (P)   |                |              |               | 976,180                     |                         |
|            | -  |                |              |               | Sub Total (C)               | 26,158,643              |
|            | TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C) Say Rs. Lakhs 1237.  |                |              |               |                             | 123,776,682             |
|            | Say NS. Lakiis 1237  |                |              |               |                             | 11                      |
|            |  |                |              |               |                             |                         |
| 1          | Bldg Civil (A1)  |                | `= Rs        | 28,000        | /Sqm                        |                         |
| 2          | Bldg Civil, Elect, Water Supply, Furniture (A)   |                | `= Rs        | 37,939        | /Sqm                        |                         |
| 3          | Total (A+B)  |                | `= Rs        |               |                             |                         |
|            |  |                |              |               |                             |                         |